अपील रसद सं0 2/2017 व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति ओड़की के अभिभाषक श्री रोहताष महेन्द्रा उपस्थित है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस दिनांक 11.07.17 को सुनी जा चुकी है पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है:–

ग्रामवासी ग्राम पंचायत 4सी बड़ी ओड़की द्वारा जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत एक शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.12.16 को जांच की गई और जांच के दौरान चार प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर व आरोप सही पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश सं0 7599 दिनांक 21.12.16 के द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सुनवाई उपरान्त राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 10 व 11 का उल्लंघन पाये जाने पर आदेश दिनांक 27.02.17 के द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया एवं प्राधिकार पत्र की जमा अमानत राशि रूपये 1000/– जब्त करने के आदेश दिये गये एवं कम पाये गये 111.32 क्विंटल गेहूं की राशि बाजार भाव से राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन था कि अपीलार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति, ओड़की का उचित मूल्य दुकानदार है और ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत पर जांच अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर अपीलार्थी को चार आरोपो के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका अपीलार्थी द्वारा पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था। नोटिस में अंकित चार आरोप के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही की गई। किन्तु उसका प्राधिकार पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उसके पास 111.32 क्विंटल गेहूं कम मिला है। उक्त 111.32 क्विंटल गेहूं कम मिलने के संबंध में अपीलार्थी का कोई स्पष्टीकरण नही चाहा गया था। इस प्रकार बिना सुनवाई का अवसर दिये उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश जारी करना प्राकृतिक सिद्धान्तो के विरूद्ध होने के कारण उसकी अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त गेहूं कम नही था बल्कि स्टॉक पूरा था। 85.35 क्वि. गेहूं अपीलार्थी के गोदाम में पड़ा था शेष गेहूं वही डिपू में पड़ा था। उसका स्टॉक पूरा होने के बावजूद भी जिला रसद अधिकारी द्वारा अवैद्य रूप से उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अपने कथन के समर्थन में सुरेन्द्र सिंह उचित मूल्य दुकानदार दुलापुर केरी की दो तस्दीकें 85.35 क्विं0 गेहूं व 25.50 क्वि0 गेहूं की प्रस्तुत की है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उसका निरस्त किया गया प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि इस मामले में ग्रामवासीयों की शिकायत जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसकी सुनवाई उपरान्त 111.32 क्विं0 गेहूं कम पाये जाने पर राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 6, 10 व 11 का उल्लंघन होने के कारण उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो सही रूप से निरस्त किया गया है और साथ ही 1000रूपये अमानत राशि जब्त करने का आदेश व कम पाये गये 111.32 क्विं0 की राशि बाजार भाव से जमा करवाने के आदेश दिये है जो सही आदेश दिये है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 27.02.17 का अवलोकन किया तो पाया कि जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासीयों ओड़की द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति ओड़की के उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच प्रवर्तन अधिकारी से करवाई गई। प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.16 के अनुसार निम्न अनियमितताएं पाई गई:–

1. दुकानदार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चयनित परिवारों (एपीएल) को एक माह छोड़कर वितरण कर रहा है जबकि राज्य सरकार उसे प्रतिमाह गेहूं दे रही है।
2. मौके पर उपस्थित लगभग सभी परिवारो के राशन कार्ड में यह स्थिति थी। 25 राशनकार्ड की सूची तैयार की।
3. मासिक मानचित्र नही दिये जाते है।
4. मौके पर स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध नही करवाये गये।

प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 21.12.16 को निलम्बित कर दि0 22.12.2016 का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका स्पष्टीकरण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.01.17 को दे दिया। किन्तु इस मामले में दिनांक 27.02.17 का प्रवर्तन अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त उचित मूल्य दुकानदार के स्टॉक में 111.32 क्विन्टल गेहूं कम होना बताया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निरस्त करने के संबंध में जो आदेश 27.02.17 को जारी किया गया है उसमें 111.32 क्विन्टल गेहूं कम मिलने के आरोप को भी आधार बनाया गया है। किन्तु इस आरोप के संबंध में अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसका कोई स्पष्टीकरण नही लिया गया है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, सही प्रतीत होता है। इसलिए इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 27.02.17 निरस्त किया जाता है और मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी से कम पाये गये 111.32 क्विन्टल गेहूं के संबंध में तथा प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2016 में उल्लेखित चार आरोपो सहित सभी आरोपो पर कारण बताओ नोटिस जारी कर अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः एक माह में विधिवत रूप से निर्णय पारित किया जावे और तब तक उचित मूल्य की दुकान से वितरण की चल रही वर्तमान व्यवस्था यथावत जारी रखी जावे। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति मय उनके कार्यालय के रिकार्ड सहित पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25–07–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर